न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री विनोद कुमार मीना R.A.S.)

प्रकरण सं. 193/2016
किस्म दावा 88,89,188 आर.टी.ए.
निर्णय दिनांक 18.03.2020

1. रामकली बेवा समंदर जाति नाई निवासी कबई तहसील नदबई (भरतपुर)राज.(मृतक)
2. हीरासिंह पुत्र समंदर जाति नाई निवासी कबई तहसील नदबई
3. रामभरोसी पुत्र समंदर जाति नाई निवासी कबई तहसील नदबई
4. ओमप्रकाश पुत्र समंदर जाति नाई निवासी कबई तहसील नदबई
5. भीमसिंह पुत्र समंदर जाति नाई निवासी कबई तहसील नदबई
6. बच्चूसिंह पुत्र समंदर जाति नाई निवासी कबई तहसील नदबई
7. चन्द्रवती पुत्री समंदर जाति नाई निवासी कबई तहसील नदबई

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई

प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री अशोक कुमार एड0

निर्णय

दावा 88,89,188 आर.टी.ए.

1. यह कि वादीगण द्वारा दावा अंतर्गत धारा 88,89,188 आरटीए के तहत पेश किया गया है।
2. यह कि आराजी खसरा न. 2759,2760,2761 वाके ग्राम कबई द्वितीय तहसील नदबई बंदोबस्त से पूर्व साबिक खसरा नम्बरान 2311, व 2312 तथा बंदोबस्त संवत 2028 से पूर्व साबिक खसरा नम्बरान 1852 व 1853 थे विवादित भूमि वाके ग्राम कबई द्वितीय पर स्थित है।
3. यह कि आराजी मुतदाबिया वादीगण की खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि है, आराजी मुतदाबिया का वादिनी के पति व अन्य वादीगण के पिता समंदर को राज्य सरकार से सन 1973 में पट्टा हुआ था जिस पर संबत 2019 में नियमानुसार खातेदारी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड कर दी गयी। जमाबंदी संबत 2019 में वादीगण का पिता खातेदार दर्ज था, तथा वादीगण के पिता समंदर के फौत होने पर आराजी मुतदाबिया पर लगातार काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं। वह आज तक काबिज है।
4. यह कि आराजी मुतदाबिया पर वादीगण व हैसियत खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहे हैं। वादीगण बंदोवस्त संबत 2028 से पूर्व आराजी मुतदाबिया पर खातेदार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड चले आ रहे हैं। मगर बंदोबस्त संबत 2028 में बंदोबस्त अधिकारीगण ने गलती से अनाधिकार

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

Scanned with CamScanner

वादीगण की खातेदारी काटकर वादीगण के नाम गैरखातेदारी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड कर दी। जबकि बंदोबस्त अधिकारीगण को किसी को खातेदारी प्रदान करने या निरस्त करने का कोई कानूनी हक प्राप्त नहीं है। बंदोबस्त अधिकारीगण को पूर्व के इन्द्राज को बदस्तूर दर्ज राजस्व रिकॉर्ड किया जाना था मगर बंदोबस्त अधिकारीगण ने वादीगण की खातेदारी निरस्त कर आराजी पर वादीगण को गैरखातेदार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड कर दिया गया। उक्त गलत इन्द्राज कायम रहने से वादीगण को सख्त इकतलफी है, व वादीगण के हकों पर जबाल आने का अंदेशा है जिससे वादीगण आराजी मुतदाबिया पर अपने हकूकों खातेदारी घोषित करा पाने के अधिकारी है।

5. यह कि आराजी मुतदाबिया वादीगण की खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि है। वादीगण ने दिनांक 26.06.16 को हल्का पटवारी से कृषि ऋण हेतु पत्रावली तैयार करने हेतु नकल लेनी चाही तो हल्का पटवारी आराजी मुतदाबिया का गलत इन्द्राज का ज्ञान हुआ। वादीगण ने अपनी खातेदारी करने बाबत् तहसीलदार नदबई व हल्का पटवारी से निवेदन किया तो अदालत में दावा कर खातेदारी की डिक्री लाने की हिदायत दी। हल्का पटवारी खातेदारी की डिक्री न लाने की सूरत में आराजी से पट्टा निरस्त कर बेदखली की धमकी दी। जिसका प्रति को कोई हक हासिल नहीं है। जिससे वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण हुक्मइम्तनाई दवामी की डिक्री करा पाने के अधिकारी हैं।
6. यह कि वादीगण को आराजी मुतदाबिया को रहन कर कृषि ऋण लेना आवश्यक है, व कृषि कार्य के लिये ऋण की जल्दी है, एवं राजस्थान सरकार को नोटिस दिये जाने में बिलंब होगा जिसे बिना नोटिस प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 80(2) जा.दी. के साथ पेश किया जा रहा है।

अंत में प्रार्थना है कि दावा वादीगण डिक्री फरमाया जावे कि आराजी मुतदाबिया हाल खसरा नम्बरान 2759 रकबा 0.38, 2760 रकबा 0.38, 2761 रकबा 0.10 वाके मौजा कबई तहसील नदबई पर वादीगण खातेदार घोषित किया जावे। व वर्तमान इन्द्राजात पटवार कागजात कलमजन किया जावे, तथा वादीगण को आराजी मुतदाबिया पर वाहिस्सा बराबर खातेदार दर्ज राजस्व रिकॉर्ड कराया जावे, तथा प्रतिवादीगण को जरिये हुक्मइम्तनाई दवामी से पाबंद किया जावे कि वादीगण को बेदखल न किया जावे। कब्जेकाश्त में मदाखलत व मजामहत न करें।

वादीगण का वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादी की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुये, तथा अपना जबाब दावा पेश किया गया। अपने जबाब में वर्णित किया कि बिंदु सं. 1 कानूनी है, व बिंदु सं. 2 रिकॉर्ड के आधार पर स्वीकार है। बिंदु सं. 3 रिकॉर्ड के अनुसार आंशिक स्वीकार है, बाकी अस्वीकार है। जमाबंदी संवत 2019 खातेदार दर्ज नहीं किया गया है। बिंदु सं. 4 खातेदार दर्ज न होकर पट्टेदार दर्ज है। कोई धमकी नहीं दी गयी न ही सरकार के विरूद्ध नोटिस दिया गया। वादी द्वारा पट्टा प्राप्त करने का साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। अतः दावा खारिज योग्य है।

वादीगण के वादपत्र एवं प्रतिवादी के जवाब के आधार पर निम्नांकित तनकीयात कायम की गयी। जो निम्नानुसार है :–

सहायक कलक्टर

Scanned with CamScanner

1. आया वादी विवादित आराजीयात वर्णित वादपत्र मद सं. 2 वाके ग्राम कबई द्वितीय पर वादीगण की खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि है। जो वादिनी के पति व अन्य वादीगण के पिता समन्दर को राज्य सरकार से संवत 2073 में पट्टा से प्राप्त आराजी है।– जिम्मेवादीगण
2. आया वादीगण बंदोबस्त संवत 2028 से पूर्व खातेदार दर्ज रिकॉर्ड चले आ रहे हैं, परंतु बंदोबस्त अधिकारीगण ने वादीगण की खातेदारी के नाम गैरखातेदार दर्ज कर दिया गया है। जो अपने नाम गैर खातेदारी दर्ज करा पाने का अधिकारी है।– जिम्मेवादीगण
3. आया वादी प्रति के खिलाफ हुकमइम्तनाई दबामी की डिक्री करा पाने का अधिकारी है। – जिम्मेवादीगण
4. आया वादी द्वारा पट्टा प्राप्त करने का कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। दावा काबिल खारिजी के है।– जिम्मेप्रतिवादी

वादीगण द्वारा अपने दावे के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में हाल जमाबंदी संवत 2070–73 वाके ग्राम कबई द्वितीय प्रदर्श –1, नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2028 प्रदर्श–2,3, नकल जमाबंदी संवत 2015 वाके कबई द्वितीय प्रदर्श–4, नकल जमाबंदी संवत 2019 वाके कबई द्वितीय प्रदर्श–5,नकल नामंतकरण पंजिका सं. 555 वाके ग्राम कबई प्रदर्श–6, नकल पटवारी रिपोर्ट व जांच रिपोर्ट वाके ग्राम कबई द्वितीय प्रदर्श–7, नकल प्रमाणित प्रतिलिपि पट्टा समंदर बल्द प्यारे नाई प्रदर्श–8, नकल भूप्रबंध विभाग संवत 2028 खसरा न. 2311, व 2312 वाके ग्राम कबई द्वितीय, नकल जमाबंदी संवत 2023–26 वाके ग्राम कबई पेश किये गये, तथा मौखिक बयान के रूप में शपथपत्र भीमसिंह पुत्र समन्दर जाति नाई निवासी कबई पीडब्ल्यू 1, घण्टोली पुत्र सोहनपाल जाति जाटव निवासी कबई पीडब्ल्यू 2 पेश किये गये।

प्रतिवादी की ओर से अपने जबाब के समर्थन में कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य पेश नहीं किये गये

हमने उभयपक्षकारान के विद्वान वकीलों की बहस को सुना गया, व मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं मौखिक बयानो का अवलोकन किया गया। निर्णय तनकीवार इस प्रकार है :–

1.आया वादी विवादित आराजीयात वर्णित वादपत्र मद सं. 2 वाके ग्राम कबई द्वितीय पर वादीगण की खातेदारी व कब्जेकाश्त की भूमि है। जो वादिनी के पति व अन्य वादीगण के पिता समन्दर को राज्य सरकार से संवत 2073 में पट्टा से प्राप्त आराजी है।– उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण का था,वादीगण द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2015 लगायत 2018 पेश की गयी। जिसमें वादीगण के पिता समन्दर बल्द प्यारे कौम नाई साकिन देह पट्टेदार दर्ज रिकॉर्ड जिससे साबित है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत नकल प्रतिलिपि पट्टा समन्दर वल्द प्यारे जाति नाई साकिन कबई पेश की गयी। उक्त विवादित आराजी जरिये आवंटन से प्राप्त हुयी। जो प्रदर्श–4 व 8 से साबित है। अतः उक्त तनकी वादीगण के हक में व प्रतिवादीगण के खिलाफ तय की जाती है।

2.आया वादीगण बंदोबस्त संवत 2028 से पूर्व खातेदार दर्ज रिकॉर्ड चले आ रहे हैं, परंतु बंदोबस्त अधिकारीगण ने वादीगण की खातेदारी के नाम गैरखातेदार दर्ज कर दिया गया है। जो अपने

सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर

Scanned with CamScanner

नाम गैर खातेदारी दर्ज करा पाने का अधिकारी है।– उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादीगण था। वादीगण द्वारा दावा अंतर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88,89,188 के तहत बंदोबस्त संबत 2028 के दौरान विवादित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में किये गये गलत इन्द्राज को दुरूस्त करवाने के लिये किया गया है। वादीगण ने अपने वादपत्र व बहस में कहा कि बंदोबस्त संबत 2028 पूर्व वादीगण के पूर्वज समन्दर बल्द प्यारे खातेदार के रूप में दर्ज रिकॉर्ड थे, लेकिन बंदोबस्त 2028 के दौरान बंदोबस्त कर्मियों द्वारा गलती से समन्दर पुत्र प्यारे को विवादित आराजी में गैरखातेदार दर्ज कर दिया। वादीगण ने अपने दावा व बहस में कहा कि विवादित आराजी खसरा न. 2759, 2760, 2761 वाके मौजा कबई द्वितीय का बंदोबस्त संबत 2060 व 2028 से पूर्व साबिक खसरा न. क्रमशः 2311,2312 व 1852, 1853 थे। संबत 2028 से पूर्व विवादित आराजी वादीगण के पूर्वज समन्दर वल्द प्यारे के नाम दर्ज रिकॉर्ड थी। वादीगण द्वारा प्रस्तुत हाल जमाबंदी, मिलान क्षेत्रफल संबत 2060 व 2028 व जमाबंदी संबत 2015 लगायत 18 (प्रदर्श–1लगायत 4) से विवादित आराजी का वर्तमान व बंदोबस्त के पूर्व खसरा नम्बरान साबित हैं। वादीगण के पूर्वज समंदर को विवादित आराजी जरिये आवंटन प्राप्त हुयी, जो जमाबन्दी संवत 2015–18 व पट्टे प्रदर्श 4 व 8 से साबित है। वादीगण के पूर्वज समन्दर बल्द प्यारे को बन्दोबस्त 2028 से पूर्व में खातेदारी दे दी गई इस बाबत वादीगण द्वारा नामान्तकरण स. 555 प्रदर्श 6 व जमाबंन्दी संवत 2019 से 2022 प्रदर्श 5 पेश किगई। इसलिये उक्त तनकी वादीगण के हक में प्रतिवादीगण के खिलाफ तय की जाती है।

3.आया वादी प्रति के खिलाफ हुक्मइम्तनाई दबामी की डिक्री करा पाने का अधिकारी है। उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादी का था। वादीगण द्वारा तनकी सं. 1 व 2 के निर्णय से सिद्ध किया जा चुका है। अतः वादी प्रति को जरिये हुक्मदबामी की डिक्री से पाबंद किया जाता है।

4.आया वादी द्वारा पट्टा प्राप्त करने का कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया है। दावा काबिल खारिजी के है।– वादीगण द्वारा नकल पट्टा फोटोप्रतिलिपि समन्दर वल्द प्यारे पेश किया गया। जो प्रदर्श –8 से साबित है। अतः उक्त तनकी भी वादीगण के हक में व प्रतिवादीगण के खिलाफ तय की जाती है।

उपरोक्त तनकीवार निर्णय के विवेचन के आधार पर वादी का वादपत्र डिक्री किया जाना उचित है। अतः आदेश है कि विवादित आराजी खसरा न 2759 रकवा 0. 38, 2760 रकवा 0.38, 2761 रकवा 0.10 है. वाके मौजा कबई द्वितीय तहसील नदबई पर दर्ज गैरखातेदार को कलमजन किया जाकर वादीगण को विवादित आराजीयात पर वाहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18.03.2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दपतर हो।

(विनोद [illegible] R.A.S.)
सहायक कलेक्टर नदबई

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

Scanned with CamScanner